


राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 7(8)कार्मिक/क-2/08

जयपुर, दिनांक:- 20-12-10

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.5.2010 के द्वारा डी0 बी0 सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12810/2009 जी0 शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा लम्बवत् (Vertical) आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा में रखने के आदेश दिनांक 04.11.2009 को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षण संबंधी मामलों में न्यायालय का अन्तिम निर्णय होने तक की अवधि में भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए रखने के निर्देश प्रदान किये गये हैं साथ ही समसंख्यक आदेश दिनांक 06.5.10 एवं 07.6.2010 के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 4 प्रतिशत और 14 प्रतिशत पद विज्ञापित पदों के अतिरिक्त नोशनल रूप में पद रखे जायेंगे।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि विज्ञापित पदों में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करावें। साथ ही 4 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग एवं 14 प्रतिशत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए अतिरिक्त नोशनल रिक्तियों का निर्धारण करने से संबंधित सूचना शीघ्रातिशीघ्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।


(खेमराज)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर्स सहित।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव।



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।



शासन उप सचिव

44/2010